LOK SABHA

Wednesday November 18, 1970/*Kartika* 27, 1892 (*Saka*)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चौथी योजना पर पुनर्विचार करने की मांग

*181. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना पर पुनः विचार करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) राज्य सरकार ने विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 181 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और राज्य के अपने संसाधनों की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए 52.47 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की मांग की है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत सूत्र के अनुसार राज्य योजनाओं के लिए समस्त केन्द्रीय सहायता राज्यों में पहले ही वितरित की जा चुकी है। इस समय ऐसी कोई अनावंटित राशि नहीं है जिससे अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जा सके।

राज्यों के अपने संसाधनों में जो अनुमानित कमी है उसे अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था कर पूरा करने की इस समय कोई गुंजाइश नहीं है। विशेष व्यवस्था केवल उन्हीं राज्यों को उपलब्ध की गई है जिनके गैर-योजना संसाधनों में भारी अन्तर है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई घाटा नहीं हुआ है, अतः वह विशेष व्यवस्था का अधिकारी नहीं है।

विवरण

क. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपये)

कार्यक्रम	परिव्यय
1. सड़कें और पुल	52.00
2. राज्य सिंचाई कार्य (प्रमुख, मध्यम और लघु)	87.50
3. बाढ़ नियंत्रण और नालियां	11.00
4. भूमि को कृषि योग्य बनाना	12.00
5. शहरी क्षेत्रों का विकास	18.50
योग	181.00

ये परिव्यय मुख्यतः राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं, सड़कें,

पुल इत्यादि उपलब्ध करने पर व्यय किया जायेगा। बाढ़ नियंत्रण उपायों का सम्बन्ध पूर्वी जिलों से है। भूमि को कृषि योग्य बनाने से भूमिहीन मजदूरों को दोहरा लाभ होगा क्योंकि इससे उसे भूमि तथा रोजगार दोनों उपलब्ध होंगे। शहरी विकास के अन्तर्गत की स्कीमें न केवल अतिरिक्त रोजगार क्षमताएं उपलब्ध करेंगी बल्कि अधिक सिविल सुविधाएं उपलब्ध कर निर्धन वर्गों की कठिनाइयां दूर करने में भी सहायता देंगी।

ख. निम्नांकित उपाय अपनाने के परिणामस्वरूप राज्य संसाधनों में अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था :

(करोड़ रुपये)

(1) राज्य सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की अदायगी	25.00
(2) शैक्षणिक संस्थानों में गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को इसी प्रकार की सहायता	6.00
(3) नये जिलों और कस्बों में मद्य निषेध लागू करने के परिणामस्वरूप अनुमानित लागत	2.00
(4) मद्य निषेध लागू करने की अतिरिक्त लागत	0.07
(5) अलाभकर जोतों पर लगान की माफी (6.25 एकड़ और इससे कम पर)	15.00
(6) व्यावसायिक कर के उन्मूलन के कारण अनुमानित हानि	2.00
(7) सरकारी खजानों द्वारा निजी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन का भुगतान करने की प्रणाली का सूत्रपात	2.10
जोड़	52.47

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का नम्बर 181 है और मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में बता दिया है कि उत्तर प्रदेश ने 181 करोड़ रुपये की मांग की है। मुझे विशेष आश्चर्य उन के इस रिमार्क पर हुआ कि उत्तर प्रदेश की प्रगति में, या स्थिति में, कोई इस प्रकार का अन्तर नहीं है कि उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जा सके।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृहकार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह नहीं कहा है।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि पहली तीनों पंच-वर्षीय योजनाओं में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में कुल विनियोग का केवल ६ प्रतिशत उत्तर प्रदेश को दिया गया, जब कि आबादी के अनुपात से उसका भाग कम से कम 17 प्रतिशत होना चाहिए था। क्या यह भी ठीक है कि चौथी पंच-वर्षीय योजना में भी इस अन्याय को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है, क्योंकि जहां केन्द्रीय सरकार ने चौथी पंच-वर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र में 3500 करोड़ रुपये समस्त राज्यों के लिए रखे हैं, वहां उसमें से उत्तर प्रदेश के लिए केवल 126 करोड़ रुपये रखे गये हैं, यानी केवल 4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के लिए रखा गया है? क्या उत्तर प्रदेश के लोग यह समझें कि पिछले अठारह वर्षों में ही नहीं, बल्कि आगे आने वाले पांच वर्षों में भी, उत्तर प्रदेश के साथ यह अन्याय, पक्षपात और भेदभाव होता रहेगा और क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को केवल यह कहकर सन्तुष्ट रखा जायगा कि प्रधान मंत्री उनके यहां से हैं?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY: Sir, it is not a fact that in the fourth five year Plan, Uttar Pradesh was given only Rs. 136 crores. On the other hand, it has got Rs. 526 crores as Central assistance in the fourth five year Plan, and the Central assistance to Uttar Pradesh is steadily increasing during all these Plans.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, आप प्रधान मंत्री को कहें कि वह सवाल को समझें और जवाब दें।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री: पहली तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश को 3.8 प्रतिशत और चौथी पंच-वर्षीय योजना में केवल 4 प्रतिशत दिया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर-प्रदेश को जो राशि दी जा रही है, वह क्या प्रतिशत पड़ेगी, जिससे मालूम पड़े कि हमारे साथ पक्षपात नहीं हो रहा है।

SHRIMATI NANDINI SATPATHY: It is true that the population of Uttar Pradesh is quite big but the Central assistance for the Plan is not distributed only according to population. It is not a fact that Central aaistance to Uttar Pradesh is decreasing. On the other hand, if we see from the first five year Plan, we will find that the percentage of Central assistance is increasing as far as Uttar Pradesh is concerned.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, मुझे आप की सहायता की आवश्यकता है, मैंने मंत्री महोदय से पूछा है कि चौथी पंच-वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को जो रकम दी जायेगी, वह कितने प्रतिशत पड़ेगी। वह इसका उत्तर क्यों नहीं देती हैं, ताकि स्पष्ट मालूम पड़े कि सरकार की क्या नीति है और क्या उत्तर प्रदेश के साथ किये गये अन्याय का परिमार्जन हो रहा है?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY: Of all the states, the percentage that Uttar Pradesh got is as follows: first Plan, 11.6; second Plan, 10.9; third Plan, 13.4; from 1966 to 1969, it was 14.9 per cent. In the fourth Plan, it is 14.6 per cent.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, वैसे मेरे प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं दिया गया है, लेकिन मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि 1968-69 तक केन्द्रीय सरकार ने पावर के लिए दूसरे प्रदेशों में 377 करोड़ रुपया खर्च किया, जबकि उत्तर प्रदेश में एक पाई भी खर्च नहीं की; यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इस अन्याय और भेदभाव के परिमार्जन के लिए क्या केन्द्रीय सरकार पावर जेनीरेशन, विद्युत के उत्पादन की स्कीमों के लिए उत्तर प्रदेश को कोई विशेष सहायता देगी। इसके अतिरिक्त हमारे यहां विद्युत के उत्पादन के लिए एटामिक एनर्जी स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। क्या केन्द्रीय सरकार उस प्रस्ताव को स्वीकार करके उत्तर प्रदेश के साथ अब तक किये गये भेदभाव का परिमार्जन करेगी?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY: It is for the State to decide how much they should spend on the power projects. As far as the Centre is concerned,—(*Interruption*)— I am coming to the atomic power plant.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, वह साइड-ट्रैक कर रही हैं।

MR. SPEAKER: Please listen; have patience.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY: The Centre is giving block assistance to the States, and it is for the States to divide it in different heads. As far as Uttar Pradesh is concerned, and as far as the atomic power plant is concerned, there is a demand from Uttar Pradesh that there should be one atomic power plant in Uttar Pradesh, and it is under the consideration of the Planning Commission.

DR. RAM SUBHAG SINGH: It is a fact that the Government of Uttar Pradesh has proposed to the Government of India to increase the grant and that they are not getting the plan allocations according to their requirements and also according to their right. It is also a fact that the irrigation projects there are lying unimplemented, more particularly minor irrigation of which very little is under implementation, mostly in the chronically drought-affected areas in eastern Uttar Pradesh and also generally in the whole of Uttar Pradesh. Just a word about the question of power. May I know whether there is any proposal to depute the Deputy Chairman of the Planning Commission and the Member (Agriculture) to discuss the matter with the state Government of U. P.

and increase the Plan allocation and also to make a special grant which may not be governed by the Plan?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: We fully share the concern of the hon. Member about the economic backwardness of many districts of U.P. . . .

AN HON. MEMBER: There are other backward States also.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: Just now, we are considering one particular State. If I discuss all the States, then we go beyond the limits of this particular Question.

Hon. Members will appreciate that in this matter our hands are somewhat tied because it is not the Central Government which decides the distribution of Central assistance. It is the National Development Council that decides it. All State Chief Ministers are there. Even before the matter comes up before the National Development Council, these matters are discussed at all levels between the officials of the Union Govt., the Members of the Planning Commission and the representatives of the State Governments. Gradually, more and more of such matters are coming within the discretion of the States and less and less under the discretion of the Union Government.

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ: Who has the decisive voice?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: The National Development Council has the decisive voice. . .

SHRI RANGA: You preside over it.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I do preside over it. But I cannot overrule the members of the National Development Council. If there is a general consensus amongst the Chief Ministers, I, certainly, cannot say that a particular State should get more or less. They have evolved certain criteria and the Central assistance is given according to those criteria.

Dr. Ram Subhag Singhji asked whether we would ask the Members of the Planning Commission to meet the State Government officials. This is a continuous process. Quite recently. I think, about two months ago, one of the Members, Shri Pitambar Pant, went to U.P. and discussed these matters in detail, including irrigation and other matters. If it is felt necessary, certainly, there is no objection to further discussions being be held.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्र भारत के तीनों प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश से आये थे क्या इसलिए उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हो रही है? मैं दो ठोस प्रश्न पूछना चाहता हूं। योजना आयोग ने यह तय किया था कि आंध्र, आसाम, जम्मू काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में विशेष सहायता दी जायगी क्योंकि इन राज्यों में घाटा होगा। इसके अनुसार सहायता दी गई। इसमें उत्तरप्रदेश नहीं था क्योंकि उत्तर प्रदेश घाटे का राज्य नहीं था। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि योजना आयोग ने जो राज्य तय किए थे उनमें तामिलनाडू को कैसे जोड़ दिया गया? यह योजना आयोग के कागज मेरे पास हैं जिसके अनुसार तामिलनाडू को 22 करोड़ 82 लाख रुपये की विशेष सहायता दी गई। मुझे तामिलनाडू को सहायता देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि योजना आयोग के निर्णय में परिवर्तन करके तामिलनाडू की सहायता की जा सकती है तो उत्तर प्रदेश की सहायता क्यों नहीं की जा सकती?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि बाढ़ और सूखे का जहां तक सवाल है उस मामले में सहायता देने में भी उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हुआ है। यह योजना आयोग द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। वहां बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है। लेकिन 1969-70 में केन्द्रीय सरकार ने 2.40 करोड़ की सहायता उत्तर प्रदेश को दी जब कि तामिलनाडू को 13 करोड़, राजस्थान को 53 करोड़ इस तरह से सहायता दी गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि योजना आयोग

का निर्णय उत्तर प्रदेश के संबंध में परिवर्तित करने में क्या कठिनाई है और बाढ़ और सूखे के बारे में उत्तर प्रदेश को अधिक सहायता देने में कौन सी आपत्ति थी ?

श्री कमलनयन बजाज : तीन प्रधान मंत्री वहां से हो गए हैं, यही आपत्ति है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : जितनी सहायता मिलती है वह कुछ नियम के अनुसार दी जाती है लेकिन कभी कभी अगर किसी राज्य को विशेष कठिनाई हो तो वेज एन्ड मीन्स एडवान्स मिल सकता है जो योजना काल में ही वापस ले लिया जाता है। । जहां तक उन्होंने आंकड़े दिए सूखे के और बाढ़ के, वह मेरे पास इस समय पूरे नहीं हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जैसा पहले कहा गया है एक अधिकारियों का दल जाता है नुकसान के अनुमान के लिए और वह राज्य सरकार से बातचीत करके बताता है कि कितनी सहायता देनी है । उसके अनुसार दिया जाता है। उसके अलावा अगर कोई कठिनाई होती है तो उसमें भी हम पहले दे देते हैं जो बाद में अधिकारियों का दल जाता है और सिफारिश करता है तो उसके अनुसार सहायता दी जाती है। जैसे गुजरात में कुछ घोषणा की थी, उत्तर प्रदेश में भी एनाउन्समेंट किया था. . .(**व्यवधान**). . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उत्तर प्रदेश में यह रकम बहुत कम है, इसका जवाब क्या है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : इसके आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं। मैं इसको देखकर बताऊंगी।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सहायता का प्रश्न प्रादेशिक गैर-बराबरी से जुड़ा हुआ है । मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि केन्द्र के द्वारा विभिन्न राज्यों में फी व्यक्ति, कुल कितनी पूंजी लगाई गई है, कितनी सहायता की गई है और उसमें फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशंस को भी जोड़ दीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, बैंक्स वगैरह सब को शामिल कर लीजिए ? यह चार पांच साल से प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष के साथ और इनके साथ हमारा पत्र-व्यवहार चल रहा है। प्रादेशिक गैर-बराबरी का सवाल तभी हल होगा जब केन्द्र के द्वारा और केन्द्रीय संस्थाओं के द्वारा कितना खर्च विभिन्न राज्यों में फी व्यक्ति किया जा रहा है इसके आंकड़े सदन के सामने आएंगे । तभी यह पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के साथ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ और पहाड़ी इलाकों के साथ अन्याय हुआ है या नहीं । तो क्या प्रधान मंत्री इसका जवाब देंगी ?

MR. SPEAKER: This is not within the scope of the question.

श्री मधु लिमये : उसी के बारे में मैं पूछ रहा हूं । केन्द्रीय सहायता से अध्यक्ष महोदय, क्या मतलब है ? विभिन्न राज्यों में जो केन्द्र के द्वारा पूंजी लगाई गई है वह क्या केन्द्रीय सहायता नहीं है ?

MR. SPEAKER: Please put a specific question on it. This is too general a question. This relates to UP and their demand. But you are covering the whole country.

श्री मधु लिमये : यह बिलकुल इस प्रश्न से उठता है । अगर प्रधान मंत्री जी तुरंत जवाब नहीं दे सकती हैं तो सदन को आश्वासन दें कि सभा पटल पर पर-कैपिटा जो इस तरह केन्द्र की पूंजी लगी है, उसका ब्यौरा रखेंगी ।

MR. SPEAKER: You can put a separate question, but it does not arise out of this.

श्री मधु लिमये : प्लानिंग कमीशन से इसके बारे में हमारा पत्र-व्यवहार चल रहा था। इनकम और खर्चे के आंकड़े आने चाहिए ।

MR. SPEAKER: I am very sorry, Mr. Madhu Limaye. This is a question about the

reconsideration demanded by UP. You can ask a specific question asking all the information but not out of this.

SHRI MADHU LIMAYE: I tried to put the whole thing in the proper perspective.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, बैंकों में जो उत्तर प्रदेश का रुपया जमा है वह कुल राशि का 8 प्रतिशत है और बैंकों से जो उत्तर प्रदेश को मिला है वह कुल मिलाकर 4 प्रतिशत है जब कि बंगाल और मद्रास को बैंकों से सौ प्रतिशत तक ऋण दिए गए हैं। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ यह भेदभाव क्यों है?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने भी ऋण देने वाले संगठन हैं जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड है, ऐग्रीकल्चरल री-फाइनेंस कारपोरेशन है इसका एक भी संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं है।

तीसरी बात यह है कि सिंचाई मंत्री डा० के० एल० राव यहां बैठे हैं। इन्होंने अभी तीन-चार दिन पहले बताया, उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव की स्थिति क्या है, उसका अनुमान आप इनके बनान से लगा सकते हैं—ड्रेनेज स्कीम के लिए 33 करोड़ पंजाब को और 2 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को दिए हैं। इसीसे आप अन्दाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश के साथ किस तरह से सौतेली मां का व्यवहार केन्द्रीय सरकार कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर से जो 181 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है, उसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, क्या आप फिर से चौथी पंच वर्षीय योजना में विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: इनके लिए बढ़ा दीजिए, लेकिन पंजाब का न घटाइये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे पास जो धनराशि है, वह सीमित है, अब यदि कहीं बढ़ेगा तो कहीं घटेगा भी।....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: तो उत्तर प्रदेश का बढ़ा दीजिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: इन्होंने अभी सिंचाई के बारे में मिसाल दी—यह सब प्रान्त का विषय है, उनको बाहर से नहीं मिल रहा है। अब यह उत्तर प्रदेश के हाथ में है कि अपनी योजना में वे किन किन परियोजनाओं को लेंगे और कितना वे अपने राज्य के संसोधनों को बढ़ा सकते हैं। आज के अखबार में आपने देखा होगा कि राज्य के संसाधन कुछ घट गये हैं। तो यह राज्य सरकार के हाथ में है कि किस तरह से वे उसका वितरण निर्धारित करेंगे और किस तरह से बढ़ायेंगे। इसमें केन्द्र कुछ नहीं कर सकता है, हम तो ज्यादा से ज्यादा सलाह दे सकते हैं।

श्री मधु लिमये: ये सौतेली मां है या सुपुत्री—इस का जवाब नहीं आया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: जहां तक वित्तीय संस्थानों की बात है, उसके आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री मधु लिमये: आप इकट्ठे कीजिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल में हम उन पर बहुत कुछ जोर नहीं दे सकते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूं—हर वक्त सौतेली मां के पीछे पड़े रहना इस सदन के लिये बिलकुल ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी कभी आती है। यह पुराने जमाने की बात थी, आजकल आधुनिक मनोविज्ञान में सौतेली मां का व्यवहार वही होता है जो मां का होता है। ....(**व्यवधान**)....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह इन्होंने मान लिया है कि सौतेली मां हैं।

श्री रवि राय : यह इन्होंने कुबूल किया है.... (**व्यवधान**) ....

श्री कमलनयन बजाज : क्या प्रधान मंत्रीजी ने यह कहा है कि सौतेली मां का जैसा व्यवहार होता है, वैसा मां का होना चाहिए, या माँ का जैसा होता है, वैसा सौतेली मां का होना चाहिये ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा मां का होना चाहिये, वैसा होना चाहिये, लेकिन मैं मां नहीं हूं, मैं पुत्री हूं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा प्रश्न सुना होगा । प्रधान मंत्रीजी ने जितना बल सौतेली माँ को बचाने पर दिया, उसकी बजाय अगर इस बात को बताती तो ज्यादा अच्छा था–कि बैंकों में हमारे प्रान्त का 8 प्रतिशत भाग है, लेकिन दिया जा रहा है केवल 4 प्रतिशत, जब कि बंगाल और मद्रास में 100–100 प्रतिशत तक ऋण मिला है । उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा ऋण मिल सके–इस दिशा में आप क्या निर्णय लेंगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने अभी कहा है कि बैंकों के सम्बन्ध में मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है । दूसरी बात यह है कि केन्द्र सरकार निर्णय नहीं करती है कि बैंक कितना देंगे, हर एक बैंक का अपना बोर्ड है, उनके पास योजनायें आती हैं और वे उन पर वे विचार करते हैं ....।

श्री हुकम चन्द कछवाय : लेकिन ये तो आपके हाथ में है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारे हाथ में नहीं है । आप लोग जरूर यह कहते रहते हैं कि हम खुद करते हैं, लेकिन ये सब चीजें उन के बोर्ड अपनी अकल से करते हैं । हमने तो उनके लिये एक मापदण्ड बनाया है, जो बनाना बहुत आवश्यक था ।

MR. SPEAKER: Shri Lakkappa, please confine yourself to U.P. only and do not go to Mysore.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, when the Prime Minister visited U.P., she made a statement that a particular person was ruling U.P. for such a long time, namely, Shri C.B. Gupta and during that period the entire U.P. has fallen into backwardness. In that respect, she made such a statement knowing fully well that such a backwardness was prevailing in U.P. I want to know whether the Prime Minister has taken any concrete steps to see that the backwardness is removed in U.P. There are allegations even from this House and also outside. When she visited that place there was a Memorandum submitted. She made the statement that Mr. Gupta ruled U.P. for such a long time and backwardness has crept in. After her visit to the State, she has got first-hand knowledge of the position. In the light of this, may I know what action she is going to take to relieve the people of the suffering?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I do not know what was reported. But I do not remember making any such categorical statement. However what I did, say and what I have repeatedly said is that unfortunately, in UP as also in some other backward states, not much effort was made to build an infrastructure so that these States or areas could benefit from the schemes of the Government. This is what has happened, and now we must concentrate on building this infrastructure. This is the reason why some areas have been able to advance although the same programmes are available for all.

SHRI S. M. BANERJEE: Recently, the UP Government have demanded Rs. 180 crores from the Central Government, and Rs. 100 crores especially for increasing the dearness allowance and pay-scales of the State Government employees of UP so as to bring them on a par with the Central Government employees, and also to meet the shortfall on account of the abolition of profession tax, which has been announced recently and which will come into effect from the 1st week of . . .

MR. SPEAKER: I think the hon. Member is going away from the main question... .

SHRI S. M. BANERJEE: Other Members have asked three questions, but I am asking only one question.

SHRI PILOO MODY: Relevance is not in question.

SHRI S. M. BANERJEE: It is relevant. It is there in the statement.

MR. SPEAKER: Whatever he says is relevant according to him, but I have to judge its relevance on other points also.

SHRI S. M. BANERJEE: I am basing my question on the statement. They have asked for a sum of Rs. 102 crores for increasing the dearness allowance and pay-scales of the State Government employees. . .

MR. SPEAKER: The hon. Member is reverting back to pay-scales, which is his favourite subject.

SHRI S. M. BANERJEE: It is there in the statement.

SHRI PILOO MODY: If they are going to ask for more, they are going to get less.

SHRI S. M. BANERJEE: They have also proposed to abolish profession tax and exempt uneconomic land holdings from land revenue.

MR. SPEAKER: I can allow the hon. Member to put these questions some other time. Now, it is not relevant.

SHRI S.M. BANERJEE: It is there in the statement, which says:

> "Special accommodation to cover the estimated shortfall in State's resources as a result of following measures:
>
> Payment of interim relief to employees of the State Government. . . "

The total asked for under this head is Rs. 52.47 crores. . .

MR. SPEAKER: The hon. Member has skipped over the other items.

SHRI HEM BARUA: It seems you have read the statement.

SHRI S. M. BANERJEE: I would like to know whether the Central Government will increase it to Rs. 180 crores. They are also abolishing profession tax which is being opposed by everyone. I would like to know why this sum of Rs. 180 crores has been denied to them, and why more industries are not coming up in UP to remove the backwardness of UP.

MR. SPEAKER: He has taken pains to connect it with the question. I think a little bit connection is there, and so, the hon. Minister should reply.

SHRI S. M. BANERJEE: It is there in the statement.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY *rose.*

MR. SPEAKER: I have seen the statement. Every statement from his mouth leads to that.

SHRI S. M. BANERJEE: I take serious objection to this. It is there in the statement. Kindly read it. Do not try to ridicule me on everything. This is not a good sense of humour; it is a very crude sense of humour.

MR. SPEAKER: The hon. Member may kindly sit down. His question is not relevant.

SHRI S. M. BANERJEE: It is relevant. Kindly read the statement.

MR. SPEAKER: It is not relevant.

SHRI S. M. BANERJEE: I am sorry. It is relevant. I would like to walk out. This is step-motherly treatment towards UP. I am sorry to say this. The statement contains this portion. Kindly read the statement. The question of interim relief has been mentioned there. The UP Chief Minister has demanded Rs. 100 crores for such and such things. The payment of interim relief to employees of the State Government is there in the statement. Am I not correct? Is it not there in the statement? If it is there, then what is irrelevant in my question.

MR. SPEAKER: In reply to an earlier question, the hon. Minister had covered it already.

SHRI S. M. BANERJEE: In the statement, it is said that the total amount is Rs.

52.47 crores. But the demand is Rs. 180 crores. I want to know whether the Central Government is going to pay that amount or not. If everything is covered, then what is the use of allowing supplementary questions?

What is the use of our asking questions if this is how they are dealt with? I am very sorry. I walk out. This is an injustice to UP.

MR. SPEAKER: Let him please sit down. On a number of occasions, he has been putting this question and I have been allowing him many times.

SHRI S. M. BANERJEE: This is not about Central Government employees. Kindly understand it. They want money to be paid to the State Government employees. There are two categories of employees—State Government employees and Central Government employees.

MR. SPEAKER: Every time he comes with it and every time I tell him that he has already asked it on a number of occasions. Even yesterday he raised it after lunch hour when there was no occasion for it. Even in this, when the Minister has already given a very comprehensive reply about what the Development Council has done and so on, there is no occasion to go into details. It is not relevant.

Then he always tries to cow me down. I do not like it; I am not going to tolerate it.

SHRI S.M. BANERJEE: There is no question of cowing you down. On a personal personalation. . .

MR. SPEAKER: This will not prevail.

SHRI S. M. BANERJEE: On a point of order. I would like to know how it is irrelevant.

MR. SPEAKER: I do not agree to it. This is my ruling. This is not relevant. I have given him a final warning.

SHRI S. M. BANERJEE: I cannot understand this 'final warning'. Am I not entitled to put a question?

MR. SPEAKER: I am not going to allow it. He may walk out or he may remain.

SHRI S. M. BANERJEE: I am going to walk out. This is injustice to me, this is injustice to 6 crores of people in UP which is neglected by the Prime Minister, by every Minister. You are also a party to it.

MR. SPEAKER: Will he please move out?

SHRI RANDHIR SINGH: This should be expunged.

MR. SPEAKER: His behaviour has been most impertinent. I have warned him a number of times. I am not going to tolerate this.

SHRI S. M. BANERJEE: What have I said or done?

MR. SPEAKER: I warn him that if goes on persisting like this, I am not going to tolerate it.

SHRI S. M. BANERJEE: You are disallowing my question.

MR. SPEAKER: He has been doing it persistently since sometime now.

SHRI S. M. BANERJEE: What have I said or done?

SHRI S. KUNDU: Will this dialogue between you and the hon. member come to an end?

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ: You have been warning him so many times. He does not take any notice of it.

MR. SPEAKER: Next question.

SHRI RANGA: He cannot be allowed to hold the House to ransom. You have been exclaiming against him so many times. But the Leader of the House does not come to your rescue. It is a shame. She is only the Prime Minister; she ought not to be the Leader of the House.

Allotment of imported Cars to Ministries by S.T.C.

*183. SHRI P.K. DEO: Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state:

(a) whether he is aware that the Ministries